



लोक संवर्धन विभाग

कि प्रार्थना द्वारा वाही गई संवर्धन प्रस्तावक एवं निम्न लोक संवर्धन अधिकारियों का
जिला कलेक्टर टोक ने पत्र क्रमांक 182 दिनांक 25.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है
तब किया गया। अधीनस्थ उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक संवर्धन अधिकारी एवं आति
दिनांक 19.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तब की गई। अधीनस्थों को सुनवाई हेतु
राज्य लोक संवर्धन अधिकारी एवं आति जिला कलेक्टर टोक को पत्र क्रमांक 1143
विरुद्ध अधील प्रेषित की गई है। अधील दर्ज रजिस्टर कर अधील प्रमाण की छायाप्रति
अधीनस्थों को निर्धारित समयवाधि में संवर्धन उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के
जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

विरुद्ध जांच या अन्वेषणात्मक कार्यवाही प्रस्तावित/जाची की गई है? यदि हाँ, उसकी
विस्तारित कृपा उपलब्ध कराई जाए। क्या इस मामले में किसी अधिकारी कर्मचारी के
फोटो अथवा विभागीय रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी दृश्य सामग्री की प्रमाणित प्रतियां /
जाए। उक्त जॉम / निर्माण की स्थल निरीक्षण के दौरान ली गई फोटो, वीडियो, ड्रॉइंग
निरीक्षण किया गया? यदि हाँ, निरीक्षण रिपोर्ट एवं अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए
रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाए। क्या वन विभाग द्वारा उक्त निर्माण स्थल का
हटया क्या नहीं गया? इसके संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, नोटिस एवं जांच
रिकॉर्ड एवं पत्राचार उपलब्ध कराया जाए। यदि यह निर्माण अवैध है तो अब तक इसे
Rajendra Gurjar एवं देवली रेंजर की क्या भूमिका रही, उससे संबंधित विभागीय
नाम पर स्वीकृत किया गया, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। निर्माण कार्य में
की प्रतियां उपलब्ध कराई जाए। उक्त निर्माण किस व्यक्ति/संस्था/जनप्रतिनिधि के
कार्य की कृम लागत, कार्यदेश (Work Order), तकनीकी स्वीकृति एवं अनुमति विवरण
आदेश एवं संबंधित नोटिस की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाए। उक्त निर्माण
बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में निर्मित जॉम / भवन निर्माण की अनुमति, स्वीकृति
का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न संवर्धन उपलब्ध कराने की कृपा करे
निर्माण, विभागीय सिलीमनात एवं कार्यवाही संबंधी संवर्धन हेतु। आवेदन। महीदय, संवर्धन
Reserve टोक / देवली, Deoli विषय: बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में अवैध जॉम
सेवा में, लोक संवर्धन अधिकारी (PIO) वन विभाग, Baisalpur Conservation

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थों ने संवर्धन का अधिकार
अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक संवर्धन अधिकारी एवं आति जिला कलेक्टर टोक
का दिनांक 8.05.2026 को आवेदन पत्र प्रेषित कर निम्न वर्णित संवर्धन वाही गई थी

दिनांक 02.06.2026
निर्णय
अधीनस्थ अन्तर्गत धारा 19(1) संवर्धन का अधिकार अधिनियम 2005
राज्य लोक संवर्धन अधिकारी एवं आति जिला कलेक्टर टोक — प्रत्यर्थी

बनाम
—अधीनस्थ
श्री दशित शर्मा निवासी श्रीक बागवाली मेन मार्केट, राजमंडल तहसील देवली
जिला टोक राजा
प्रकरण संख्या
68/2026
न्यायालय प्रथम अधील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोक



एव जिला कलेक्टर टोंक
प्रति (टीना लोधी)

(Handwritten signature)

संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र ऑनलाईन आवतवाह नं. 3900432086 दिनांक 13.05.2026 से खारिज किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।
फलतः अपील अपीलापट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एव आर। जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।